झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-7/पर्या0प्रदू0(वाद)-18/2019-478 व0प0, राँची दिनांक- 07/2/20

औद्योगिक कार्यकलापों, निर्माण कार्यकलापों, जेनरेटर सेटों, लाउड स्पीकरो, सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों, म्यूजिक सिस्टम, वाहनों के हॉर्नों एवं अन्य यांत्रिक उपकरणों के कारण सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ता परिवेशीय शोर अस्पताल, शिक्षण संस्थानों एवं न्यायालयों एवं अन्य स्थलों में व्यवधान उत्पन्न करता है तथा मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है।

2. झारखण्ड राज्य में प्रभावी झारखण्ड नगर निवेशन एवं उन्नयन न्यास अधिनियम, 2002 (अंगीकृत) में घोषित जमशेदपुर (UA) Master Plan तथा नगर निगम धनबाद एवं आस–पास के क्षेत्रों को सम्मिलित कर तैयार किए गए Master Plan, एवं झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1981 में घोषित राँची Master Plan, 2037 में अधिसूचित आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों को राज्य सरकार एतद् द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम–3(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रयोजन हेतु क्रमशः आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्र घोषित करती है ।

3. परिवेशीय वायु की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखे जाने हेतु उक्त घोषित क्षेत्रों में ध्वनि उर्त्सजन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत निर्धारित निम्न मानक लागू रहेंगे :–

SCHEDULE

see rule 3(1) and 4(1)

Ambient Air Quality Standard in respect of Noise

216

Area Code	Category of Area/Zone	Limits in dB(A) Leq*	
		Day Time	Night Time
(A)	Industrial Area	75	70
(B)	Commercial Area	65	55
(C)	Residential Area	55	45

Note:- 1. Day time shall mean from 6.00 A.M to 10.00 P.M.

2. Night time shall mean from 10.00 P.M to 6.00 A.M.

4. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम–2(c) के तहत् निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–2128 दिनांक–14.06.2019 द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार घोषित किए जा चुके हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–7 / पर्या०प्रदू० (वाद)–18 / 2019– 478 व०प०, राँची दिनांक– 07/2/20

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की 100 अतिरिक्त प्रतियाँ प्रकाशनोपरान्त उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–7 / पर्या०प्रदू० (वाद)–18 / 2019– 478 व०प०, राँची दिनांक– 07/2/20

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, राँची / वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची / अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची / नगर पुलिस उपाधीक्षक, राँची / सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–7 / पर्या०प्रदू० (वाद)–18 / 2019– 478 व०प०, राँची दिनांक– 07/2/20

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची एवं सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव